

निदेशालय

॥ गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर ॥

फोन :- 0141-2613755, फैक्स : 0141-2603407 ई-मेल: trg.hghq.rj@rajasthan.gov.in

website: <http://home.rajasthan.gov.in/homeguards>

क्रमांक: गृरमु/प्रशि./टी-1/नफरी/2021-02110

दिनांक:-10-10-2023

आदेश

निदेशालय के स्थाई आदेश संख्या 32748-90 दिनांक 16.12.2019 एवं अन्य संशोधित आदेशों द्वारा गृह रक्षा अधीनस्थ इकाइयों की शहरी एवं ग्रामीण गृह रक्षा केन्द्रों व उपकेन्द्रों का पुनर्गठन किया गया था। स्वयंसेवकों से प्राप्त लिखित सहमति के आधार पर गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, पाली के ग्रामीण उपकेन्द्र को इकाई के निम्न वर्णित शहरी केन्द्र में समायोजन किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क. सं.	केन्द्र का नाम	ग्रामीण उपकेन्द्र का नाम एवं स्वीकृत नफरी	शहरी केन्द्र का नाम जिसमें ग्रामीण उपकेन्द्र को समाहित किया गया है
1	गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, पाली	रोहट (ग्रामीण) - 60	पाली शहर (शहरी)

(यू.आर.साहू IPS)

महानिदेशक एवं महासमादेष्टा,
निदेशालय गृह रक्षा, राजस्थान

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, निदेशालय गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. उप महासमादेष्टा, प्रथम/द्वितीय निदेशालय, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान गृह रक्षा राजस्थान, फतेहपुरा बेगस, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. सीनियर स्टाफ ऑफिसर प्रथम/द्वितीय, निदेशालय, गृह रक्षा राजस्थान, जयपुर।
6. समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, पाली।
7. श्री मदन मोहन जोशी वरिष्ठ सहायक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

Signature valid

RajKaj Ref
4876628



Digitally signed by Utkar Ranjan Sahoo
Designation: Director General
Date: 2023.10.10 16:03:36 IST
Reason: Approved